प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022..............
प्र0सू0रि0 सं. ....447/2022.......... दिनांक ....21/11/2022...........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7, 7–ए.......
(ii) अधिनियम.......................भा.द.स...................धारायें...............120 बी......................................
(iii) अधिनियम... धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.............................357........ समय ....3:00 P.M..........
(ख) अपराध घटने का दिन रविवार दिनांक :– 20.11.2022 समय ....08.50 एएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– दासाकीढाणी स्थित आरोपी महीपाल का निवास स्थान......................................
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से दक्षिण–पूर्व दिशा में करीब 5 किलोमीटर
(ब) पता :– दासाकीढाणी स्थित आरोपी महीपाल का निवास स्थान ....
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री राजू उर्फ राजेन्द्र ....
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री शिवनाथसिंह,...
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 39 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव जाखल पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1–श्री महीपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम जाति जाट, उम्र–38 वर्ष, निवासी दासाकीढाणी पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर जिला सीकर।
2–श्री राकेश पुत्र श्री चुन्नीलाल कुमार निवासी गांव श्यामपुरा थाना रानोली जिला सीकर।
3–श्री रणवीर निवासी चौमू जिला जयपुर एवं अन्य।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये..............................
.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 19.11.2022 को श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस के दिगर राजकार्य हेतु रींगस मुकिम को ब्यूरो मुख्यालय से जरिये दूरभाष गोपनीय ट्रेप कार्यवाही करने तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाने पर उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9694899999 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 7220870000 पर समय करीब 11.18 एएम पर कॉल करने पर परिवादी ने अपना नाम राजू उर्फ राजेन्द्र जाखड़ पुत्र श्री शिवनाथसिंह निवासी गांव जाखल जिला झुझुनूं होना बताते हुये पुलिस थाना चौमू जिला जयपुर में पदस्थापित कानिस्टेबल के लिये दलाल श्री महीपालसिंह द्वारा चौमू थाने पर दर्ज हो रहे मुकदमें में परिवादी का नाम नहीं लिखने के लिये सीकर शहर में ही दो लाख रूपये रिश्वत की मांग किया जाना बताया तथा उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक

सुरेशचन्द को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर देखा तो उसमें पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नहीं होना पाई गई। डिजिटल टेप रिकार्डर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर समय 11.50 एएम पर कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 4.40 पीएम पर उप अधीक्षक पुलिस के उपस्थित आने तथा बाद सत्यापन समय 4.45 पीएम पर श्री कैलाशचन्द कानि. मय परिवादी श्री राजू उर्फ राजेन्द्र एवं परिवादी का साथी धोलू उपस्थित आने पर उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादीगण से मिलवाकर उनका लिखित प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया जिसमें परिवादी द्वारा अंकित किया गया कि '' आज दिनांक 19.11.2022 को सुबह महीपाल पुत्र श्री जगनाराम जाखड गांव दासाकीढाणी सीकर का फोन आया शराब की भरी हुई गाडी पकडी गई है जिसमें आपका नाम आ रहा है अगर आपका नाम कटवाना है तो दो लाख रूपये पुलिस अधिकारी को देने पडेगें मेरा दलाल व पुलिस अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई शराब का गाडी में लेना देना नहीं मै रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ।'' श्री कैलाशचन्द कानि. ने कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ''कार्यालय से रवाना होकर मैने परिवादी से सम्पर्क कर पिपराली सर्किल सीकर के पास पहूँचा जहॉ परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र एवं उसका साथी धोलू मौजूद मिले, जिस पर मैने कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर देना चाहा तो परिवादी ने दलाल श्री महीपालसिंह के मोबाईल फोन पर जरिये व्हाट्सअप कॉल कर राधास्वामी फाटक के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान जाकर महीपाल दलाल के आदमी से बात करने की कही जिस पर पिपराली सर्किल सीकर से रवाना होकर हम तीनों राधास्वामी फाटक के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान के पास पहूँचे जहॉ मैने टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा परिवादीगण के बाद वार्ता आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया।''

मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्री शिवनाथसिंह, जाति जाट, निवासी गांव जाखल पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं एवं उसके साथी धोलू उर्फ सतेन्द्रपाल पुत्र श्री रामपाल जाति जाट, उम्र–30 वर्ष, निवासी सुरेती जाखल तहसील सतनाली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा ने श्री कैलाशचन्द कानि. को पिपराली सर्किल पर प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित होना बताते हुये पुलिस थाना चौमू के कानिस्टेबल का नाम मालूम नहीं होना बताते हुये कानिस्टेबल एवं दलाल श्री महीपाल से कोई पुरानी रंजीश एवं उधार का कोई लेनदेन नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि ''मेरा माईनिंग, प्रापर्टी एवं शराब का कारोबार है, दिनांक 19.11.2022 को समय 5.22 एएम पर श्री महीपालसिंह दलाल का मेरे मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल आया जिसने बताया कि चौमू थाने में अवैध शराब की गाडी पकडी गई है, उसमें आपका नाम है, श्री महीपालसिंह ने मेरा नाम मुकदमें में नहीं लिखने के लिये चौमू थाने के स्पेशल वाले सिपाही द्वारा तीन लाख रूपये देने की कही है, आप कहो तो मै बात करलूं, आपका काम हो जायेगा और आपका नाम एफआईआर में नहीं आयेगा'' परिवादी ने यह भी बताया कि ''पिपराली सर्किल सीकर के पास मैने अपने मोबाईल फोन नं. 7220870000 से दलाल श्री महीपाल के मोबाईल नम्बर 971566351162 पर जरिये व्हाट्सअप वार्ता की तो श्री महीपाल दलाल ने राधास्वामी फाटक के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान पर जाने की कही। उसके बाद हम तीनों राधास्वामी फाटक के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान के पास पहूँचे जहॉ मैने टेप रिकार्डर श्री कैलाशचन्द कानि. से प्राप्त कर दूकान पर बैठे आदमी से वार्ता की तो उसने अपना नाम रामलाल उर्फ सरपंच बताया, मैने धोलू के द्वारा रामलाल सरपंच को महीपाल दलाल के कहेनुसार मैने अपने स्वयं के पास रखे एक लाख रूपये दिलवा दिये और मैने अपने मोबाईल फोन से जरिये व्हाट्सअप रामलाल सरपंच एवं महीपाल की आपस में वार्ता करवाई तो महीपाल ने और एक लाख रूपये सात–आठ बजे तक देने की कही'' टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया। रिश्वत के संबंध में और अधिक स्पष्ट वार्ता करवाने हेतु परिवादी को कहा तो परिवादी ने जरिये व्हाट्सअप दलाल श्री महीपाल से वार्ता करने की कही। तत्पश्चात समय 05.07 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाईल फोन नं. 7220870000 से दलाल श्री महीपाल के मोबाईल नम्बर 971566351162 पर जरिये व्हाट्सअप कॉल किया तो दलाल महीपाल ने पुलिस वाले से वार्ता कर एफआईआर की

कोपी भिजवाने की कही तथा परिवादी द्वारा दूकान पर दिये गये रूपयों पुलिस वाले के पास पहूँचाने की कही, वार्ता के दौरान परिवादी ने दलाल महीपाल को पुलिस वाले आदमी के नाम के बारे में पूछने पर दलाल महीपाल ने नाम नहीं बताने की कहते हुये कहा कि आपके पैसे उनके आदमी के पास पहूँच गये है आपके साथ चारसौबीसी नहीं होगी, मेरी उनसे बात हो गई है, दलाल महीपाल ने शेष एक लाख रूपये और देने की कही। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर को ऑन करवाकर रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्द शुदा श्री सुनिल कुमार एवं श्री सुभाष जाडीवाल कनिष्ठ सहायकगण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार सीकर से उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय में मौजूद परिवादीगण से स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द रूपान्तरण की कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से किये जाने के दौरान ही समय 7.42 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नं. 7220870000 पर दलाल श्री महीपाल के मोबाईल नम्बर 971566351162 से जरिये व्हाट्सअप कॉल आने पर उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर को ऑन करवाकर रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान महीपाल दलाल ने पुलिस वाले से एफआईआर की प्रति स्वयं के पास आने की कही। तत्पश्चात 8.50 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नं. 7220870000 पर दलाल श्री महीपाल के मोबाईल नम्बर 971566351162 से जरिये व्हाट्सअप कॉल आने पर उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर को ऑन करवाकर रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान महीपाल दलाल ने परिवादी को कहा कि सुबह नो बजे रूपये देने की कही तथा परिवादी ने सुबह आठ बजे रूपये दलाल के घर पर देने की कही तो महीपाल दलाल ने रूपये अपने घर पर लेने हेतु सहमत हुआ।

तत्पश्चात समय 8.55 पीएम पर परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन राधास्वामी फाटक के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान के पास रामलाल सरपंच नाम के व्यक्ति से आमने-सामने हुई वार्ता, परिवादी के मोबाईल फोन नं. 7220870000 से दलाल श्री महीपाल के मोबाईल नम्बर 971566351162 पर समय 5.07 पीएम पर करवाई गई वार्ता, परिवादी के मोबाईल फोन नं. 7220870000 पर दलाल श्री महीपाल के मोबाईल नम्बर 971566351162 द्वारा समय 7.42 पीएम एवं 8.50 पीएम पर जरिये व्हाट्सअप हुई वार्ता, जो कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उपरोक्त चारों वार्ताओं का गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ए" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र ने स्वंय की व आरोपी दलाल श्री महीपाल एवं रामलाल सरपंच की आवाजों की पहचान की।

ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 20.11.2022 को सुबह 8.00 एएम पर किया जाना सुनिश्चत किया जाकर स्वतंत्र गवाहान को रात्रि विश्राम हेतु कार्यालय बैरिक में ठहराया गया तथा परिवादीगण को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। दिनांक 20.11.2022 को समय करीब 7.25 एएम पर परिवादीगण उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी श्री राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्री शिवनाथसिंह, जाति जाट, निवासी गांव जाखल पुलिस थाना गुढागोडजी जिला झुंझुनूं ने हिदायत देने पर आरोपी श्री महीपालसिंह दलाल को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पॉच-पॉच सौ रूपयों के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

1-एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1PB 303094
2-एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0WV 754303
3-एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1PM 806105
4-एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4CU 157605

5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3PU 550053
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5DH 858536
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7TW 759497
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8RK 937819
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2AR 501145
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2GG 637798
11–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5BE 406705
12–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3CP 561430
13–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0MR 305495
14–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0AG 954438
15–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9KA 045555
16–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1MN 670361
17–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4KW 785970
18–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9FB 993524
19–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2QP 482163
20–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0UV 897164
21–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7GP 700753
22–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7PG 149930
23–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9LS 466452
24–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4EL 105716
25–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1AR 969488
26–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2FQ 114649
27–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7RN 969809
28–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8HT 392659
29–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7LL 159194
30–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1AT 487176
31–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9NB 156324
32–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9SE 574385
33–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6NP 759172
34–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CP 630185
35–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8AH 519016
36–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3EL 259036
37–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7BS 307041
38–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4HT 485478
39–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7DT 120145
40–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3CV 678071
41–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7DK 595795
42–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5AU 881443
43–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7FP 971391
44–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6HB 029708
45–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6QM 133452
46–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4BA 560429
47–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1AH 951939
48–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5AC 235686
49–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1SS 409012
50–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9VW 263526
51–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1GB 042553
52–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6DQ 939308
53–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8LQ 898535
54–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8AU 734805
55–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1KM 257410
56–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7DW 231152
57–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9TE 613889
58–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5EC 752060

59–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4AH 817095
60–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0MV 890741
61–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0PB 693481
62–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8TF 698108
63–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8FN 684892
64–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5CV 136617
65–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5DF 345977
66–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3WT 677247
67–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6KN 037011
68–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3WK 079470
69–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5KC 209825
70–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1DD 672044
71–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8KK 695982
72–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3SF 829502
73–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1ES 815292
74–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7RT 013152
75–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2RH 623536
76–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CB 859366
77–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1FN 940906
78–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5GG 360349
79–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3QG 817653
80–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1GG 045691
81–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0HA 292978
82–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9MV 150847
83–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6FC 028317
84–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4GB 517302
85–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8FW 975961
86–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6UM 870775
87–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9VW 958611
88–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4LF 151206
89–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5DC 641103
90–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6PQ 031975
91–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3BG 093412
92–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3BA 540501
93–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7WK 383488
94–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4QL 800326
95–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6HT 483527
96–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7UE 584798
97–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4EW 000998
98–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4TF 754622
99–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9UL 487574
100–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5VT 186916
101–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2ME 168856
102–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6ND 956121
103–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0BG 705685
104–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9MT 453307
105–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4HC 241064
106–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6FC 313657
107–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1HS 613401
108–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6AF 869413
109–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6NG 921897
110–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9NS 773507
111–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6AU 311271
112–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0TB 655502

113–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3NS 801854
114–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1FW 786167
115–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3RU 602621
116–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3VA 431206
117–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9GQ 332790
118–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2ND 265037
119–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3DW 921401
120–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3KE 688970
121–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4TW 544809
122–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1HG 758221
123–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0CG 286302
124–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8SW 041177
125–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0MR 704276
126–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0FE 331737
127–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5ND 633115
128–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9KU 298705
129–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8HT 153109
130–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1HK 253671
131–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4RK 341782
132–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2AD 158873
133–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6MH 664376
134–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1MM 442987
135–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6ND 918081
136–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3PT 244801
137–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7CA 148688
138–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5SW 202672
139–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3RF 059141
140–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9FE 093841
141–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0RP 999439
142–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7WP 190337
143–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1UD 042588
144–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7AR 470971
145–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2QP 014534
146–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7RD 169704
147–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1ES 684359
148–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8DE 724471
149–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4EC 151977
150–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3SW 394082
151–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7HC 024000
152–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4KH 596652
153–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8CP 376219
154–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0BE 018480
155–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1TM 475767
156–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2AG 068922
157–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2VC 167693
158–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8HG 785060
159–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1UU 975255
160–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6VN 180913
161–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6NK 178214
162–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5CN 274071
163–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2DB 047364
164–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CT 224784
165–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1QA 286115
166–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9AQ 741890

[redacted]

167–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6AP 060155
168–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8BR 682925
169–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7AW 711343
170–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0VM 854596
171–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5DV 638731
172–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9AL 145456
173–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8CL 889988
174–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8QK 496366
175–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8DV 780575
176–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2VQ 012789
177–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1KT 669384
178–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9DV 168944
179–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1AT 853405
180–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7GB 264460
181–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1QF 145453
182–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0EN 351412
183–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1DM 732973
184–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9BP 380433
185–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6VK 665529
186–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1SH 145948
187–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7GB 511225
188–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0DA 887936
189–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2CS 217354
190–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4AB 637725
191–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7KR 193718
192–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4QP 944287
193–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8WU 256622
194–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0UB 554938
195–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7AR 955983
196–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6DD 860376
197–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0BE 615589
198–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8CH 212127
199–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7UG 656024
200–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0UM 500285

फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री सुनिल कुमार से परिवादी श्री राजू उर्फ राजेन्द्र की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे एक लाख रूपयों के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेबं में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिकिया व महत्व परिवादीगण एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से मालखाना में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री राजू उर्फ राजेन्द्र को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय करीब 8.25 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक, मौतवीरान श्री सुनिल कुमार एवं सुभाष जाडीवाल कनिष्ठ सहायकगण, कार्यालय स्टॉफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों एवं मोटरसाईकलों से श्री राजेश जांगिड उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया जाकर कार्यालय से रवाना होकर जयपुर–झुंझुनूं बाईपास रोड़ पर ओम पेट्रोल पम्प से जयपुर की तरफ पूर्व दिशा की तरफ दासाकीढाणी में जाने वाले रास्ते पर पहूँचा जहॉ परिवादीगण को उनके वाहन से श्री महीपाल के निवास स्थान की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 8.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर वाहनों एवं मोटरसाईकलों से करीब 300 मीटर आगे दासाकीढाणी जाने वाले रास्ते के उत्तर दिशा की तरफ खेत में बने मकान जहॉ परिवादीगण दूर से दिखाई दे रहे थे, जहॉ मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के वाहनों से पहूँचा, जहॉ परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र व परिवादी का साथी धोलू सतेन्द्रपाल ने मकान के अन्दर बने कमरे में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही महीपाल जी है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से एक लाख रूपये रिश्वत के लिये है, रूपयों को इन्होने अपने हाथ में लेकर इस टेबल पर रखे है'' परिवादी ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने पर टेप रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम श्री महीपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम जाति जाट, उम्र–38 वर्ष, निवासी दासाकीढाणी पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर जिला सीकर पेशा खेती होना बताते हुये कहा कि ''पुलिस थाना चौमू में शराब की गाडी पकडी गई थी, उसमें राजू का नाम नहीं आने के लिये मैने अपने परिचित चौमू निवासी रणवीर जिसके मोबाईल नम्बर +1(949)6963727 से बात कर पहले तो इनकी शराब की गाडी चौमू थाने में रणवीर के मार्फत पकडवाई फिर इनके कहने पर इनका नाम मुकदमें में नही लिखने के लिये रणवीर से बात की तो रणवीर ने तीन लाख रूपये खर्चा–पानी देने की कही तब मैने इनके कहने पर दो लाख रूपये में सौदा तय किया। मेरे परिचित रणवीर की कोई चौमू थाने वालों से कोई जानकारी है अथवा नहीं की मुझे कोई जानकारी नहीं है, कल दिनांक 19.11.2022 को रणवीर के आदमी जिनका नाम नहीं जानता हूँ, राधास्वामी फाटक के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान पर रणवीर ने रूपये देने की कही, तब इन्होने दूकान पर जाकर रणवीर के आदमी जिसका मै नाम नहीं जानता हूँ, को एक लाख रूपये देकर मेरी उस आदमी से जरिये व्हाट्सअप बात करवाई थी, इनके कहने पर मैने आज शेष एक लाख रूपये रणवीर के लिये लिये है।'' मौके पर परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र ने श्री महीपाल के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''मेरी चार–पॉच दिन पहले शराब की गाडी चौमू थाने पर पकडी जाने पर महीपाल ने मेरे को कहा कि आपका नाम आ रहा है, मै बात कर आपका नाम कटा सकता हूँ, तब मैने कहा कि मेरी तो कोई गाडी नहीं पकडी गई है, तब मैने डर के मारे मुकदमें में मेरा नाम नहीं आने के लिये इन्होने अपने किसी परिचित से बात कर पहले तो तीन लाख रूपये देने की कही, कल दिनांक 19.11.2022 को दो लाख रूपये में सौदा तय हुआ तथा इनके कहने पर सीकर बाईपास पर ओम पेट्रोल पम्प के पास सीकर बिल्डिंग मेटेरियल की दूकान पर मै व मेरा साथी धोलू गये जहॉ मैने धोलू के मार्फत महीपाल से बात कर दूकान पर बैठे सरपंच उर्फ रामलाल नाम के व्यक्ति को एक लाख रूपये दिलवाये, रूपये दिलवाने के बाद मैने मेरे मोबाईल फोन से जरिये व्हाट्सअप महीपाल की वार्ता करवाई इसके बाद कल दोंपहर से शाम तक लगातार महीपाल से व्हाट्सअप कॉल से बात हो रही थी, इन्होने पहले तो शेष एक लाख रूपये रात आठ बजे तक देने की कही तब मैने इनको मेरी सन्तुष्टि के लिये एफआईआर की कोपी मंगवाने की कही, तब महीपाल ने मुझे जरिये व्हाट्सअप एफआईआर की कोपी मेरे व्हाट्सअप नम्बरों पर सेन्ड की थी, महीपाल ने शेष एक लाख रूपये यह कहते हुये कि कल सुबह नो बजे उनका आदमी पिपराली सर्किल से जयपुर जायेगा, आप एक लाख रूपये मुझे मेरे मकान पर दे देना'' मौके पर धोलू उर्फ सतेन्द्रपाल ने भी परिवादी राजू के कथनों की ताईद की।

तत्पश्चात महीपाल द्वारा बताये गये मोबाईल फोन नम्बर +1(949)6963727 पर एफआईआर की कोपी महीपाल के नम्बरों पर भेजने के संबंध में वार्ता करनी चाही तो उक्त मोबाईल धारक ने कॉल रिसिव नहीं किया। पूछने पर महीपाल ने बताया कि "मेरे पास रणवीर ने अपने उक्त मोबाईल से एफआईआर की कोपी मेरे मोबाईल नम्बर 971566351162 पर भेजी थी, रणवीर के मोबाईल नम्बर मेरे मोबाईल नम्बर में सेव नहीं है, मैने रणवीर द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर पर भेजी गई एफआईआर की कोपी डिलेट कर दी थी, श्यामपुरा थाना रानोली निवासी राकेश पुत्र श्री चुन्नीलाल जो मेरी मौसी का लड़का है, ने भी अपने मोबाईल नम्बर 8005535973, जो मेरे मोबाईल में Rtrp के नाम से सेव है, मेरे मोबाईल नम्बर 9909875777 पर भेजी थी, जो मेरे मोबाईल में सुरक्षित है।

तत्पश्चात महीपाल को पुलिस थाना चौमू के किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा रणवीर तथा राकेश के मार्फत एफआईआर भेजे जाने के बारे में पूछने पर किसी पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी की स्वयं की कोई वार्ता नहीं होना बताया। परिवादीगण को भी पूछने पर पुलिस थाने के किसी भी अधिकारी/कर्मचारीगण से कोई वार्ता एवं जान पहचान नहीं होना बताया। रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री महीपाल का बायां हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 एवं दाहिना हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से कलाईयों के उपर से पकडे गये। मौके पर ढाणी वालों की भीड़-भाड़ एकत्रित होने के मध्यजनर पुलिस थाना उद्योनगर सीकर से पुलिस जाप्ता मंगवाया गया। श्री महीपाल द्वारा अपने कमरे में रखी टेबल पर रखे पॉच-पॉच सौ रूपयों के दो बंडल दिखाई दिये, जिनको गवाह श्री सुनिल कुमार से उठवाये जाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। मौके पर भीड़ होने के कारण श्री महीपाल को उसी हालात में पकडे हुये समय 9.40 एएम पर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री महीपाल के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त श्री महीपाल के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा सो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एंव आर-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1, एल-2 से सील्ड किया गया। बरामद शुदा रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरों का पूर्व में बनी फर्द पेशकसी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूँबहूँ पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर फर्द धुलाई हाथ में अंकित करवाकर बरामद शुदा नोटों को एक सफेद कागज पर सीलवाकर सीलचीट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात श्री महीपाल के दोनों मोबाईल फोनों को महीपाल से अनलॉक करवाकर दोनों फोनो को बारी-बारी से चैक किया गया तो महीपाल के एक मोबाईल फोन वीवो वाई-83 कम्पनी जिसमें सीम नम्बर 971566351162 होना महीपाल ने बताया। श्री महीपाल के उक्त मोबाईल के मोबाईल नम्बर 971566351162 पर दिनांक 19.11.2022 एवं 20.11.2022 को अलग-अलग समय पर जरिये व्हाट्सअप कॉल परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र के मोबाईल फोन नं. 7220870000 पर वार्ता किया जाना पाया गया। इसके अलावा महीपाल के उक्त मोबाईल में मोबाईल नम्बर +1(949)6963727 जो महीपाल ने अपने परिचित चौमू निवासी श्री रणवीर के होना बताया। श्री रणवीर के उक्त मोबाईल नम्बर से महीपाल के मोबाईल नम्बर पर थाना चौमू जिला जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 749/22 दिनांक 19.11.2022 धारा 19/54, 54-ए आबकारी अधिनियम की एफआईआर की कोपी एवं कार्यालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम आयुक्तालय जयपुर का दिनांक 19.11.2022 के प्रेस नोट सेन्ड किया जाना पाया गया, जिनका प्रिन्ट लिया जाकर संबंधितों/स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जप्त किया गया। उक्त मोबाईल फोन के व्हाट्सअप कॉल लॉग एवं फोन विवरण एवं एफआईआर एवं प्रेस नोट की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार्जर लीड लगवाकर कुल 16 पृष्ठों का प्रिन्ट निकलवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया।

महीपाल के दूसरे मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी जिसमें सीम नम्बर 9909875777 होना महीपाल ने बताया। श्री महीपाल के उक्त मोबाईल के मोबाईल नम्बर

9909875777 से महीपाल के उक्त मोबाईल में आर ट्रीप नाम से सेव मोबाईल नम्बर 8005535973, जो राकेश पुत्र श्री चन्नीलाल निवासी श्यामपुरा सीकर का होना तथा उक्त राकेश के द्वारा अपने मोबाईल फोन से थाना चौमू जिला जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 749/22 दिनांक 19.11.2022 की एफआईआर की कोपी तथा कार्यालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम आयुक्तालय जयपुर का दिनांक 19.11.2022 के प्रेस नोट महीपाल के मोबाईल पर सेन्ड करना पाया गया। उक्त मोबाईल फोन के व्हाट्सअप कॉल लॉग एवं फोन विवरण की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार्जर लीड लगवाकर प्रिन्ट निकलवाकर कुल 18 पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। श्री महीपाल के उक्त दोनों मोबाईल फोन विवो वाई–83 एवं वन प्लस को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर संबंधितों के हस्ताक्षर कर मार्क ''बी'' अंकित किया गया।

तत्पश्चात परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र का मोबाईल फोन एपल कम्पनी जिसमें सीम नम्बर 7220870000 होना परिवादी ने बताया। परिवादी के उक्त मोबाईल के मोबाईल नम्बर 7220870000 पर दिनांक 19.11.2022 एवं 20.11.2022 को अलग–अलग समय पर जरिये व्हाट्सअप कॉल महीपाल के मोबाईल फोन नं. 971566351162 पर वार्ता किया जाना पाया गया। इसके अलावा परिवादी के उक्त मोबाईल नम्बर पर महीपाल के मोबाईल फोन नं. 971566351162 से चौमू थाने की एफआईआर की कोपी तथा आयुक्तालय का प्रेस नोट सेन्ड किया जाना पाया गया। श्री महीपाल के उक्त मोबाईल के मोबाईल नम्बर 9909875777 से परिवादी के उक्त मोबाईल नम्बर पर कोई वार्ता किया जाना नहीं पाया गया। परिवादी के उक्त मोबाईल फोन 7220870000 के व्हाट्सअप कॉल लॉग एवं फोन विवरण की कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चार्जर लीड लगवाकर प्रिन्ट निकलवाकर कुल 4 पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र का मोबाईल फोन एपल कम्पनी परिवादी को सुपुर्द किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज, सील्ड शुदा कपड़े की थैली में जप्त शुदा दो मोबाईल फोन के पैकेट मार्क ''बी एवं मोबाईल फोन्स के कॉल लॉक विवरण आदि पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री महीपाल जाखड़ को अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल पहूँच घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया।

तत्पश्चात परिवादीगण राजू उर्फ राजेन्द्र द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी श्री महीपाल से आमने–सामने हुई वार्ता को परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उपरोक्त वार्ता का गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र ने स्वंय की व आरोपी दलाल श्री महीपाल की आवाजों की पहचान की। प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री महीपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम जाति जाट, उम्र–38 वर्ष, निवासी दासाकीढाणी पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर जिला सीकर द्वारा पुलिस थाना चौमू जिला जयपुर में पकडी गई शराब के मुकदमें में परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र का नाम नहीं आने देने की एवज में महीपाल द्वारा अपने परिचित श्री रणवीर एवं राकेश कुमार से आपस में मिलीभगत कर दोनों ने अपने–अपने मोबाईल फोन के द्वारा परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाट्सअप पुलिस थाना चौमू जिला जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 749/22 दिनांक 19.11.2022 की एफआईआर की कोपी तथा कार्यालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम आयुक्तालय जयपुर का दिनांक 19.11.2022 के प्रेस नोट भिजवाया गया तथा श्री रणवीर के कहने पर परिवादी से दो लाख रूपये रिश्वत की मांग करना, रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.11.2022 को परिवादी से एक लाख रूपये रणवीर के

परिचित आदमी सरपंच उर्फ रामलाल को दिलवाना तथा मांग के अनुशरण में शेष एक लाख रूपये दिनांक 20.11.2022 को स्वयं के मकान पर बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। श्री रणवीर सिंह के मोबाईल नम्बर दूबई के होने तथा वीओआईपी कॉल करने के कारण लोकेशन का पता नहीं चल पाया है, इनके कृत्य एवं पुलिस थाना चौमू के अधिकारी/कर्मचारी की अनुसंधान के दौरान स्थित स्पष्ट की जावेगी। आरोपीगण श्री महीपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम जाति जाट, उम्र–38 वर्ष, निवासी दासाकीढाणी पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर जिला सीकर, श्री रणवीर, श्री राकेश कुमार का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7–ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री महीपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम जाति जाट, उम्र–38 वर्ष, निवासी दासाकीढाणी पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर जिला सीकर एवं अन्य के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री महीपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम, निवासी दासाकीढाणी, पुलिस थाना उद्योगनगर, जिला सीकर 2. श्री राकेश पुत्र श्री चुन्नीलाल कुमार, निवासी गांव श्यामपुरा, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर एवं 3. श्री रणवीर निवासी चौमूं जिला जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 447/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(डॉ. विष्णु कान्त)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3868-71 दिनांक 21.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्र.सं.2
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

21.11.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।